विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 168 की उपधारा (5) के अंतर्गत पुनगर्ठित जिला समिति जिला भोपाल (म.प्र.) की बैठक का कार्यवाही विवरण।

विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 41/1/2015–आरई दिनांक 01.04.2015 द्वारा जारी निर्देशों के पालन में विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 166 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. एफ–2–06–2015–तेरह/05 भोपाल दिनांक 20.05.2015 के माध्यम से जिला समिति के गठन हेतु आदेश जारी किये गये है। तदानुसार आदेश क्र. कले0/भो0/म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लि0./2293–94 दिनांक 06.06.2015 के माध्यम से भोपाल जिले में समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 16.06.2015 को उक्त समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को योजना के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा उक्तानुसार गठित समिति के उदेश्य से अवगत कराया गया एवं प्रस्तावित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं एकीकृत विद्युत विकास योजना के बारे में निम्नानुसार जानकारी दी गई।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अद्योसंरचना के विस्तार एवं सुदृढीकरण कार्य तथा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन प्रदान करना, 11 के.व्ही. फीडरों को कृषि एवं गैर कृषि फीडरों में विभक्त कर कृषि फीडरों पर पर्याप्त तथा गैर कृषि फीडरों को व्यवधान मुक्त विद्युत प्रदाय किया जाना है। इस योजना के तहत् भोपाल जिले के लिये रू. 30.89 करोड़ की योजना प्रस्तावित है जिनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। प्रस्तावित कार्यों का विवरण सहपत्र में दर्शाया गया है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत् भोपाल जिले के तीन शहरों का चयन किया गया है जिसमें भोपाल शहर, कोलार रोड शहरी क्षेत्र, बैरसिया शहरी क्षेत्र सम्मिलित है जिनमे क्रमशः रू. 196.64 करोड़, रू. 27.77 करोड़ तथा रू. 1.89 करोड़ के कार्य किये जाने प्रस्तावित है। इस योजना का उद्वेश्य शहरी क्षेत्र में उप पारेषण एवं वितरण अद्योसंरचना के सुदृढीकरण, फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं के परिसर में मीटरिंग सुनिश्चित करने, विद्युत वितरण क्षेत्र को सूचना प्रोधोगिकी दक्ष किया जाकर सभी को व्यवधान रहित एव विश्वसनीय विद्युत प्रदाय किया जाना है। प्रस्तावित कार्यों का विवरण सहपत्र में दर्शाया गया है।

---------- (2)

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानीय सदस्यों से निवेदन किया गया की भारत सरकार की उपरोक्त कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन आरंभ करने के लिये सहमति चाही गई जिसे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानीय सदस्यो महोदय द्वारा सर्वसम्मति से दोनो योजनाओं यथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, (DDUGJY) राशि रू. 30.39 करोड़ एवं एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) भोपाल शहर हेतु राशि रू. 196.64 करोड़, कोलार रोड शहरी क्षेत्र हेतु राशि रू. 27.77 करोड़ एवं बैरसिया शहरी क्षेत्र हेतु राशि रू. 1.89 करोड़ के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये सहमति दी गई।

1.	श्री आलोक संजर सांसद भोपाल	अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल भार्गव प्रभारी मंत्री	सह अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
3.	श्री बाबूलाल गौर गृह मंत्री / प्रतिनिधि	सदस्य
4.	श्री उमाशंकर गुप्ताजी शिक्षा मंत्री / प्रतिनिधि	सदस्य
5.	श्री मनमोहर नागर, अध्यक्ष जिला पंचायत	सदस्य
6.	श्री आरिफ अकील विधायक उत्तर भोपाल	सदस्य
7.	श्री विश्वास सांरग विधायक नरेला	सदस्य
8.	श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह विधायक भोपाल मध्य	सदस्य
9.	श्री रामेश्वर शर्मा विधायक हुजूर	सदस्य
10.	श्री विष्णु खत्री विधायक बैरसिया	सदस्य
11.	श्री निशांत वरवड़े कलेक्टर जिला भोपाल	संयोजक
12.	श्री अंशुमन सिंह पुलिस अधीक्षक भोपाल	सदस्य
13.	प्रभारी अधिकारी, कोल इंडिया लिमिटेड	सदस्य
14.	श्री आर.के. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक भोपाल	सदस्य
15.	श्री ए.के. खंत्री, महाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल	सदस्य
16.	श्री एस.के. सचदेवा, महाप्रबंधक (सं./सं.) भोपाल	सदस्य
17.	प्रभारी अधिकारी, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम भोपाल	सदस्य
18.	श्री सुरेन्द्र बड़ीका, सदस्य महापौर परिषद, भोपाल	सदस्य